

8/17

हरिमंदिर 1/3 बहादुर सिंह


दिनांक

रुक्म या कार्यवाही मय इतिहासका जज

नम्बर व तारीख
आह्वान जो इस
रुक्म की तारीख
में जारी हुए

22/7/25

पत्रावली पैरा 2ई) वादी अधिवक्ता
द्वारा वादी के विधिक वादितान की रिपोर्ट
पर लाने हेतु जर्जिनल पर पैरा नहीं किया
गया। वादी अधिवक्ता अनु. वादी अधि.
की नियमानुसार तीन बार आवाज लगाई
गई, परन्तु कोई उपस्थित नहीं आया
वादी अधिवक्ता के उपस्थित नहीं आने से
वादी द्वारा उल्लुख बाद पर अन्तर्गत धारा
88, 89, 92(क) व 122 राजस्थान काश्तकी
आधिनियम की वादी अधिवक्ता के
उपस्थित नहीं आने से अदम लावरी एवं
अदम प्रौरी में आवेदन किया जाएगा
निर्णय करे उपलक्ष सुनाया गया।
पत्रावली फाइनल नुम्बर होकर गार्डल
दफ्तर ही तथा नम्बर से कम है।


22/7/25

सहायक कलेक्टर
भीलवाड़ा